



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

दिनांक :- 04/08/2025

मांक/रीडर/2025/80/25

अनवान

1. ब्रह्मा पुत्री पोखर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी धनवाड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. शंकर पुत्र पोखर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी धनवाड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. सीमा पुत्री पोखर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी धनवाड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... प्रार्थीगण

बनाम

01. धन्नी पत्नि उदा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. ऊंकार पिता देवीलाल जाति तिवाडी उम्र वयस्क निवासी माल का झोपडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. रिंकु पत्नि विनोद जाति जैन उम्र वयस्क निवासी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. श्रीमान तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक : 04/08/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ब्रह्मा पुत्री पोखर जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी धनवाड़ा तहसील बिजौलियां वगैरे ने जरिये अभिभाषक श्री रतीराम रेबारी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां में खाता संख्या 345 की आराजी नं0 402/12 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074- 2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां में खाता संख्या 345 की आराजी नं0 402/12 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। भू0अ0नि0 बिजौलियां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। फीस नियमानुसार रुपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/रीडर/2025/1727

दिनांक :- 23/8/2025

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियां

विषय :- प्रकरण संख्या 80/2025 में पत्थरगढी बाबत् ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां में खाता संख्या 345 की आराजी नं0 402/12 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां